

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1(ख) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित क्षेत्र प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

(ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० स०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री दिनेश चन्द्र जोशी	प०से०के० गंगामोगपुर पौड़ी	प०से०के० ज्वालापुर हरिद्वार	निजी अनुरोध (दिनांक 01.08.2025 से प्रभावी होगा)

सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यमुक्त होकर निर्धारित समयान्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित कार्मिकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 616

प्रतिलिपि:

- /स्था०-2/वा०स्थाना० (क्षे०प्र०अ०) /2025-26 दिनांक 10.06.25
- 1- सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।
 - 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
 - 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हरिद्वार/पौड़ी।
 - 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
 - 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

3/6/10/6/25-
(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 के नियम-18(3) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारियों का पारस्परिक स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

पारस्परिक स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
01	श्री अशुतोष उनियाल	प0से0के0 ज्ञानसू टिहरी	प0से0के0 पांगरखाल टिहरी	पारस्परिक स्थानान्तरण
02	श्रीमती पूजा सेमवाल	प0से0के0 पांगरखाल टिहरी	प0से0के0 ज्ञानसू टिहरी	
03	श्री सतेन्द्र पाल सिंह	प0से0के0 मेवडकला हरिद्वार	प0से0के0 खन्जरपुर हरिद्वार	पारस्परिक स्थानान्तरण
04	श्रीमती हिमानी उनियाल	प0से0के0 खन्जरपुर हरिद्वार	प0से0के0 मेवडकला हरिद्वार	
05	श्रीमती कंचन बहुगुणा	प0से0के0 मालसी देहरादून	प0से0के0 जमनापुल टिहरी	पारस्परिक स्थानान्तरण
06	श्री धीरज भाटिया	प0से0के0 जमनापुल टिहरी	प0से0के0 मालसी देहरादून	
07	श्री कलम सिंह नेगी	प0से0के0 चमधार पौड़ी	प0से0के0 ढामकेश्वर पौड़ी	पारस्परिक स्थानान्तरण
08	श्री ज्ञान प्रकाश	प0से0के0 ढामकेश्वर पौड़ी	प0से0के0 चमधार पौड़ी	
09	श्री ललित मोहन पुष्कर	प0से0के0 बेहेडकी सैदाबाद (भगवानपुर) हरिद्वार	प0से0के0 खाताखेड़ी (रूडकी) हरिद्वार	पारस्परिक स्थानान्तरण
10	श्रीमती रेनू वर्मा	प0से0के0 खाताखेड़ी (रूडकी) हरिद्वार	प0से0के0 बेहेडकी सैदाबाद (भगवानपुर) हरिद्वार	
11	श्री आशाराम उनियाल	प0से0के0 अमकोटी पौड़ी	प0से0के0 सत्याखाल पौड़ी	पारस्परिक स्थानान्तरण
12	कविता नेगी	प0से0के0 सत्याखाल पौड़ी	प0से0के0 अमकोटी पौड़ी	
13	श्री सन्दीप कुमार	प0से0के0 हल्लूमाजरा हरिद्वार	प0से0के0 हबीबपुर नवादा हरिद्वार	पारस्परिक स्थानान्तरण
14	श्री भरत सिंह	प0से0के0 हबीबपुर नवादा हरिद्वार	प0से0के0 हल्लूमाजरा हरिद्वार	
15	श्री विमल चन्द्र तिनसोला	स0कू0वि0प्रा0 डोईवाला देहरादून	प0से0के0 हटवालगाँव टिहरी	पारस्परिक स्थानान्तरण
16	श्री महानन्द वैष्णव	प0से0के0 हटवालगाँव टिहरी	स0कू0वि0प्रा0 डोईवाला देहरादून	

सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यमुक्त होकर निर्धारित समयान्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित कार्मिकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 626

प्रतिलिपि:

- /स्था०-2/वा०स्थाना० (प०प्र०अ०)/2025-26 दिनांक 10.06.25
- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।
 - 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
 - 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी हरिद्वार/टिहरी/पौड़ी/देहरादून।
 - 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
 - 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1(क) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारियों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से सुगम)

क्र० स०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सनद कुमार	प०से०के० बहमपुरजट हरिद्वार	प०से०के० गैण्डीखात हरिद्वार	जनहित
2	श्री ललित कुमार	प०से०के० दौलतपुर हरिद्वार	प०से०के० भारपुर भौरी हरिद्वार	जनहित
3	श्री सतेन्द्र सिंह नेगी	प०से०के० होरावाला देहरादून०	प०से०के० उम्मेदपुर देहरादून	जनहित
4	श्री पदम सिंह	प०से०के० उम्मेदपुर देहरादून	प०से०के० होरावाला देहरादून०	जनहित

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानीय व्यवस्था पर कार्यमुक्त होकर 10 दिन के भीतर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 614

प्रतिलिपि:

- /स्था०-2/वा०स्थाना० (प०प्र०अ०) /2025-26 दिनांक 10.06.25
- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।
 - 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
 - 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून/हरिद्वार।
 - 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
 - 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1(ख) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारियों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

(ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० स०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सन्दीप केसरवाल	प०से०के पौधा देहरादून	प०से०के० कामला (कालसी) देहरादून	निजी अनुरोध
2	श्रीमती दीपांजलि	प०से०के गैण्डीखाता हरिद्वार	प०से०के० नागेश्वर सौड टिहरी	निजी अनुरोध
3	श्री नरेन्द्र दत्त शर्मा	प०से०के० रुद्रपुर देहरादून	प०से०के० मदसू देहरादून	निजी अनुरोध
4	श्री भूपाल सिंह भण्डारी	द श्रेणी पशुचिकित्सालय भाऊवाला देहरादून	प०से०के० नगऊ कालसी देहरादून	निजी अनुरोध

सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यमुक्त होकर निर्धारित समयान्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित कार्मिकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 615

प्रतिलिपि:

- /स्था०-2/वा०स्था० (प०प्र०अ०) /2025-26 दिनांक 10.06.25
- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।
 - 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
 - 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/टिहरी।
 - 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
 - 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1(ख) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारियों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण (दुर्गम से दुर्गम)

क्र० स०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सागर ध्यानी	प०स०के० डुग्री चमोली	प०स०के० चोरगढ (नैनीडाण्डा) पौड़ी	निजी अनुरोध
2	श्री राम सिंह	प०स०के० बैजवाडी टिहरी	प०स०के० हिसरियाखाल टिहरी	निजी अनुरोध
3	श्री अशोक सिंह बिष्ट	प०स०के० भेड एवं ऊन प्रखेत्र मैकोट	प०स०के० गाडी (दशोली) चमोली	निजी अनुरोध
4	श्री अनुज कुमार भारती	प०स०के० डांग (क्यारी) टिहरी	प०स०के० मजकोट टिहरी	निजी अनुरोध
5	श्री संजय कोठारी	भेड एवं ऊन प्रखेत्र भेंटी चमोली	प०स०के० पीपली पौड़ी	निजी अनुरोध
6	श्री हेमन्त भारद्वाज	प०स०के० भवासी दुगड्डा पौड़ी	प०स०के० घेडी (डाबखाल) पौड़ी	निजी अनुरोध
7	श्री राजेश सिंह नेगी	प०स०के० सतेराखाल रुद्रप्रयाग	प०स०के० मयकोटी रुद्रप्रयाग	निजी अनुरोध
8	श्री दीपक बलोदी	प०स०के० मोहल्या (प्रतापनगर) टिहरी	प०स०के० अंजनीसैण टिहरी	निजी अनुरोध
9	श्री चन्द्र प्रकाश तिवारी	प०स०के० टंगसा चमोली	प०स०के० बैरागना चमोली	निजी अनुरोध
10	कु० प्रियंका	प०स०के० बर्नीगढ उत्तरकाशी	प०स०के० चिपलघाट पौड़ी	निजी अनुरोध
11	श्री धीरेन्द्र पाल सिंह	प०स०के० साल्ड उत्तरकाशी	प०स०के० मैखण्डी टिहरी	निजी अनुरोध
12	श्री मनवीर सिंह	प०स०के० गंगनानी, उत्तरकाशी	प०स०के० सिंगोट डुण्डा उत्तरकाशी	निजी अनुरोध
13	श्रीमती प्रेरणा	प०स०के० रैथल उत्तरकाशी	प०स०के० साल्ड उत्तरकाशी	निजी अनुरोध
14	श्रीमती प्रीति	प०स०के० सौरा उत्तरकाशी	स०कु० वि०प्र० ज्ञानसू उत्तरकाशी	निजी अनुरोध
15	श्री मनीष रावत	स०कु० वि०प्र० कर्णप्रयाग चमोली	प०स०के० पोखरी पौड़ी	निजी अनुरोध
16	श्रीमती चॉदनी लटवाल	प०स०के० बैरागना चमोली	रा०अ०श०प०प्र० ग्वालदम चमोली	निजी अनुरोध
17	श्री योगेन्द्र सिंह	प०स०के० नारायण कोटी रुद्रप्रयाग	भेड एवं फामर्स ओरिन्टेशन मक्कू रुद्रप्रयाग	निजी अनुरोध
18	श्री प्रदीप कुमार	प०स०के० मागथा पौड़ी	प०स०के० पुल्यासु पौड़ी	निजी अनुरोध
19	श्री किशोर कुमार	प०स०के० भटोली चमोली	प०स०के० नौली चमोली	निजी अनुरोध
20	श्री मनवीर सिंह बिष्ट	मेढा केन्द्र गड्ढाड उत्तरकाशी	प०स०के० कन्ताडी उत्तरकाशी	निजी अनुरोध

सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यमुक्त होकर निर्धारित समयान्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित कार्मिकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ०स० 617

प्रतिलिपि:

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।
- 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
- 3- परियोजना निदेशक, भेड एवं फामर्स ओरिन्टेशन मक्कू रुद्रप्रयाग
- 4- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, चमोली/पौड़ी/उत्तरकाशी/रुद्रप्रयाग/टिहरी।
- 5- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

/स्था०-2/वा०स्थाना० (प०प्र०अ०) /2025-26 दिनांक 10.06.25

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1(ग) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारियों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० स०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री कल्पेश तिवाडी	प०से०के० सिल्काखाल टिहरी	प०से०के० स०कु०वि०प्रा० विकासनगर देहरादून	जनहित
2	श्री कपिल देव चौहान	प०से०के० जुगडगॉव (डामटा) उत्तरकाशी	द श्रेणी पशुचिकित्सालय भाऊवाला देहरादून	जनहित
3	श्री विजयपाल शाह	प०से०के० विपलघाट पौड़ी	प०से०के० पौधा देहरादून	जनहित
4	श्री सुनील डिमरी	प०से०के० मदसू जाखन देहरादून	प०से०के० रुद्रपुर देहरादून	जनहित

उपरोक्तानुसार सम्बन्धित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानीय व्यवस्था पर कार्यमुक्त होकर 10 दिन के भीतर नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 613

प्रतिलिपि:

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को अनुपालनार्थ।
- 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
- 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, देहरादून/टिहरी/उत्तरकाशी/पौड़ी।
- 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

/स्था०-2/वा०स्थाना० (प०प्र०अ०) /2025-26 दिनांक 10.06.25

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० भूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री गिरीश चन्द्र कापडी, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, बाजपुरगांव जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, सातसिलिंग जनपद-पिथौरागढ़	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 904 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बाजपुर-ऊ०सिंहनगर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, मूनाकोट-पिथौरागढ़।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17

(1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सविता सैनी, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, मैनाझुण्डी जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, मौनपोखरी जनपद-चम्पावत	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 905 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशुचिकित्सालय, सितारगंज-ऊ०सिंहनगर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, चम्पावत।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/चम्पावत।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/चम्पावत।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17

(1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री संजय कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी,	"द" श्रेणी पशु औषधालय गुलरभोज-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, गौडीहाट जनपद-पिथौरागढ़	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 906 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशुचिकित्सालय, आदर्शनगर-ऊ०सिंहनगर।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, झूलाघाट-पिथौरागढ़।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/पिथौरागढ़।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17

(1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री राजेन्द्र कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, कालीनगर जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, डालकन्या जनपद-नैनीताल	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 907 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, दिनेशपुर-ऊ०सिंहनगर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशुचिकित्सालय, ओखलकाण्डा-नैनीताल।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री शेखर, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, लालपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, चौमेल जनपद-चम्पावत	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह० / -

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 908 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, करनपुर-ऊ०सिंहनगर।
3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बाराकोट-चम्पावत।
4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/चम्पावत।
5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/चम्पावत।
6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री जोगेन्द्र प्रसाद, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, सन्तोषपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, भतरौंजखान जनपद-अल्मोडा	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 909 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बाजपुर-ऊ०सिंहनगर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, भिकियासैण-अल्मोडा।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोडा।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोडा।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

Transfer Order Sthapna-01



कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती अंजना कोहली, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, पातलीबगड, जनपद-अल्मोडा	पशु सेवा केन्द्र, ममडछीना, जनपद-अल्मोडा	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 910 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, हवालबाग-अल्मोडा।
3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोडा।
4- मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोडा।
5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सुनीता महेश कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, जाफरपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, सिनौडा जनपद-अल्मोडा	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 911 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बासोट-अल्मोडा।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, दिनेशपुर-ऊधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोडा।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर/अल्मोडा।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री गंगा सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, बिण जनपद-पिथौरागढ़	कृ०गर्भा० केन्द्र, सदर पिथौरागढ़	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 912 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, पिथौरागढ़।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पिथौरागढ़।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, पिथौरागढ़।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती मीनाक्षी तिवाड़ी, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, च्यूरीगाड जनपद-नैनीताल	पशु सेवा केन्द्र, बबियाड जनपद-नैनीताल	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 913 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, धारी-नैनीताल।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ख) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ख)-अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री लीलाधर पाण्डे, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, कमेडीदेवी जनपद-बागेश्वर	पशु सेवा केन्द्र, बगड़ जनपद-नैनीताल	अनुरोध के आधार पर

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. अनुरोध के आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

पत्रांक 914 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, काण्डा-बागेश्वर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, कोटाबाग-नैनीताल।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, बागेश्वर/नैनीताल।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	डा० तेजेन्द्र सिंह राणा, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, होराली जनपद-बागेश्वर	पशु सेवा केन्द्र, कफडा जनपद-अल्मोडा	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 915 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, स्याकोट-बागेश्वर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, द्वाराहाट-अल्मोडा।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर/अल्मोडा।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, बागेश्वर/अल्मोडा।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री हिमांशु जोशी, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, चौमेल जनपद-चम्पावत	पशु सेवा केन्द्र, लालपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

पत्रांक 916 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, करनपुर-ऊधमसिंहनगर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बाराकोट-चम्पावत।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंहनगर।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, चम्पावत/ऊधमसिंहनगर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री भास्करानन्द जोशी, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, खर्कटम्टा जनपद-बागेश्वर	पशु सेवा केन्द्र, भटखोला जनपद-बागेश्वर	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 917 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बोहला-बागेश्वर।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बागेश्वर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
- 5- वरिष्ठ कौषाधिकारी, बागेश्वर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री दीपू नैनवाल, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, डौला जनपद-नैनीताल	पशु सेवा केन्द्र, सन्तोषपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 918 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, कोटाबाग-नैनीताल।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बाजपुर-ऊ०सिंहनगर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, नैनीताल/ऊधमसिंहनगर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अंशु कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, सिनौडा जनपद-अल्मोडा	पशु सेवा केन्द्र, जाफरपुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 919 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, बासोट-अल्मोडा।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, दिनेशपुर-ऊधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोडा/ऊधमसिंहनगर।
- 5- सम्बन्धित कोषाधिकारी, अल्मोडा/ऊधमसिंहनगर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(ग) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(ग)-अनिवार्य स्थानान्तरण (दुर्गम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री हरीश सिंह, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, भैंटा जनपद-बागेश्वर	पशु सेवा केन्द्र, कमेडीदेवी जनपद-बागेश्वर	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

पत्रांक 920 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, काण्डा-बागेश्वर।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18 (3) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारियों का पारस्परिक स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-18 (3)-पारस्परिक स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री भुवन चन्द्र जोशी, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, गुरना जनपद-पिथौरागढ़	पशु सेवा केन्द्र, गणकोट जनपद-पिथौरागढ़	पारस्परिक स्थानान्तरण
2	श्रीमती हेमा जोशी, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, गणकोट जनपद-पिथौरागढ़	पशु सेवा केन्द्र, गुरना जनपद-पिथौरागढ़	
3	श्री कैलाश चन्द्र काण्डपाल, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, खेरदा जनपद-नैनीताल	पशु सेवा केन्द्र, कफूडा जनपद-नैनीताल	पारस्परिक स्थानान्तरण
4	श्रीमती ललिता काण्डपाल, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, कफूडा जनपद-नैनीताल	पशु सेवा केन्द्र, खेरदा जनपद-नैनीताल	

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. पारस्परिक आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

पत्रांक ७२१ /स्था०-०१/वा०पा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिकों को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, जाख-पिथौरागढ़।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, दियासी-नैनीताल।
- 4- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, सदर पिथौरागढ़।
- 5- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 6- सम्बन्धित कोषाधिकारी, नैनीताल/पिथौरागढ़।
- 7- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7 (घ)(दो) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-7 (घ)(दो) के अनुसार (सुगम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री प्रकाश सिंह बोरा, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, सांगुडीगांव जनपद-नैनीताल	पशु सेवा केन्द्र, देवलचौड जनपद-नैनीताल	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 922 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, हल्द्वानी-नैनीताल।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7 (घ)(दो) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-7 (घ)(दो) के अनुसार (सुगम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री धर्मेन्द्र वर्मा, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, तिलियापुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, कालीनगर जनपद-ऊधमसिंहनगर	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 923 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, शक्तिफार्म-ऊधमसिंहनगर।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, दिनेशपुर-ऊधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7 (घ)(दो) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-7 (घ)(दो) के अनुसार (सुगम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री फयाज अली अंसारी, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, अशोक फार्म जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, कंचनपुरी जनपद-ऊधमसिंहनगर	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 924 /स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशुचिकित्सालय, खटीमा-ऊधमसिंहनगर।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7 (घ)(दो) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-7 (घ)(दो) के अनुसार (सुगम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री विजय कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, गोकुलनगर जनपद-ऊधमसिंहनगर	पशु सेवा केन्द्र, तिलियापुर जनपद-ऊधमसिंहनगर	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)

अपर निदेशक।

पत्रांक 925/स्था०-01/वा०स्थाना०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, शान्तिपुरी-ऊधमसिंहनगर।
- 3- पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, शक्तिफार्म-ऊधमसिंहनगर।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंहनगर।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7 (घ)(दो) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 तथा शासनादेश संख्या: 221278/XXX(2)/2024/E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 28 जून, 2024 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित पशुधन प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-7 (घ)(दो) के अनुसार (सुगम से सुगम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री विनीत दुर्गापाल, पशुधन प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, देवलचौड जनपद-नैनीताल	पशु सेवा केन्द्र, सांगुडीगांव जनपद-नैनीताल	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-
(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 925 /स्था०-01/वा०स्था०-प०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, हल्द्वानी-नैनीताल।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, नैनीताल।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-17 (1)(क) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित क्षेत्र प्रसार अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-17 (1)(क)-अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री नवीन चन्द्र चौधरी क्षेत्र प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, कालीखोली जनपद-अल्मोडा	पशु सेवा केन्द्र, तुराचौरा जनपद-अल्मोडा	जनहित

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 927 /स्था०-01/वा०स्था०-क्षे०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025

प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिक को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, द्वाराहाट-अल्मोडा।
- 3- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय, स्याल्दे-अल्मोडा।
- 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अल्मोडा।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोडा।
- 6- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

कार्यालय अपर निदेशक, पशुपालन विभाग कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी-नैनीताल।

—: कार्यालय आदेश :—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-18 (3) में निहित प्राविधानानुसार शासनादेश संख्या: 1/289938/XXX(2)/2025 E-33080 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर कुमाऊँ मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित क्षेत्र प्रसार अधिकारियों का पारस्परिक स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है।

धारा-18 (3)-पारस्परिक स्थानान्तरण

क्र० सं०	कार्मिक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री दीन प्रकाश, क्षेत्र प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, सीर जनपद-बागेश्वर	पशु सेवा केन्द्र, बमराडी जनपद-बागेश्वर	पारस्परिक स्थानान्तरण
2	श्री अनवर अहमद, क्षेत्र प्रसार अधिकारी,	पशु सेवा केन्द्र, बमराडी जनपद-बागेश्वर	पशु सेवा केन्द्र, सीर जनपद-बागेश्वर	

2. उपरोक्तानुसार स्थानान्तरित कार्मिक को निर्देशित किया जाता है कि वे वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानानुसार अपने वर्तमान तैनाती स्थान से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर ससमय नवीन तैनाती के स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें।

3. पारस्परिक आधार पर किये गये स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण भत्ता हेतु अर्ह नहीं होंगे।

ह०/-

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।

पत्रांक 928 /स्था०-01/वा०पा०स्था०-क्ष०प्र०अ०/2025-26, दिनांक 10-06-2025
प्रतिलिपि-निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित कार्मिकों को परिपालनार्थ।
- 2- वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय, गरूड/बागेश्वर।
- 3- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागेश्वर।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डा० रमेश सिंह नितवाल)
अपर निदेशक।